भारत सरकार
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
मत्स्यपालन विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 338
22 जुलाई, 2025 को उत्तर के लिए

पीएमएमएसवाई का विस्तार

338. श्री मड्डीला गुरुमूर्ति:

क्या **मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई) को वित्तीय वर्ष 2025-26 से आगे बढ़ाने का है;

(ख) यदि नहीं, तो मत्स्यपालन क्षेत्र को सुदृढ़ करने और रोजगार सृजन में इसकी भूमिका के बावजूद इस योजना को बंद किए जाने के क्या कारण हैं;

(ग) आन्ध्र प्रदेश में पीएमएमएसवाई योजना के अंतर्गत वर्तमान में कार्यरत मल्टी टास्किंग स्टाफ (एमटीएस) की जिला-वार कुल संख्या कितनी है;

(घ) क्या सरकार की कई वर्षों से इस योजना के अंतर्गत काम कर रहे कुशल एमटीएस कर्मचारियों की सेवाओं को नियमित करने की कोई योजना है; और

(ङ) क्या सरकार का विचार योजना का विस्तार न किए जाने की स्थिति में इन कार्मिकों को रोजगार के वैकल्पिक अवसर प्रदान करने अथवा समायोजन करने का है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

मत्स्यपालन ,पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री
(श्री जॉर्ज कुरियन)

(क) और (ख): प्रधान मंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (PMMSY) को पांच वर्ष (2020-21 से 2024-25) की अवधि के लिए स्वीकृत किया गया था और चूंकि इसकी स्वीकृत योजना अवधि 31 मार्च, 2025 को समाप्त हो रही है, इसलिए योजना अवधि को 15वें वित्त आयोग चक्र के अंत तक अर्थात वित्तीय वर्ष 2025-26 तक बढ़ा दिया गया है।

(ग) से (ङ): आंध्र प्रदेश सरकार ने सूचित किया है कि राज्य कार्यक्रम इकाई-PMMSY, मात्स्यिकी आयुक्त कार्यालय, आंध्र प्रदेश सरकार, विजयवाड़ा में केवल एक मल्टी-टास्किंग स्टाफ (MTS) कार्यरत है। PMMSY के अंतर्गत MTS की नियुक्ति PMMSY मानदंडों के अनुसार पूर्णतः कांट्रेक्चुअल आधार पर है। आंध्र प्रदेश सरकार ने सूचित किया है कि राज्य के पास वैकल्पिक रोजगार के अवसर प्रदान करने या योजना अवधि के बाद MTS के समायोजन का कोई प्रस्ताव नहीं है।

*****